फर्द अहकाम

.बनाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– वाद 49 /2020

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/1/22	पत्रावली में दिनांक 16.12.2021 को वादी ने पेश होकर मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार प्राथमिक डिक्री करने हेतु सहमति प्रदान की थी व शेष सभी प्रतिवादीगण की तामील पूरी होने उपरान्त उनका जवाब बंद कर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली का गहन अध्ययन कर यह पाया गया कि ग्राम बावडी पटवार हल्का सरनाडूंगर, भू0अभि0निरी0क्षेत्र माचवां तहसील व जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नं0 263/1 क्षेत्रफल 2 बीघा 4 बिस्वा में बिना विधिक रूपांतरण करवाये इस भूमि पर अकृषि गतिविधि की जा रही है। इस भूमि पर प्लाट काट कर उनका विक्रय किया गया है व क्रेता को कब्जा संभलाया जा चुका है। इसकी पुष्टि न केवल वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी सं0 7 के जवाब वाद पत्र से होती है बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 17.01.2019 खसरा नं0 263/1 क्षेत्रफल 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बावडी पटवार हल्का सरनाडूंगर, भू0अभि0निरी0क्षेत्र माचवां तहसील व जिला जयपुर की जमाबंदी है जिसमें प्लाट बेचान का नोट लगा हुआ है। अतः इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि कृषि उपयोग में नहीं बल्कि आवासीय उपयोग में आ रही है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। इस भूमि पर बिना रूपांतरण करवाये अकृषि (प्लाटिंग) की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अवैधानिक है। अतः इस बाबत जेडीए को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/1/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Arshdeep Brar Date: 2022.02.10 13:32:46 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	